2

समग्र शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा में एक एकीकृत योजना

सरला वर्मा*

वर्तमान समय में शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। शिक्षा समाज में एक एकीकृत बल के रूप में कार्य करती है जो सामाजिक एकजुटता एवं राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने वाले मूल्य प्रदान करती है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन तथा समाज में समानता द्वारा कोई राष्ट्र उन्नति करता है। देश में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की गयी, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कुछ योजनाएँ जैसे—सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) के लिए बहुत प्रयास किए गये, परंतु इतने प्रयासों के बावजूद भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी नहीं बनाया जा सका और न ही उसे पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सका। हालाँकि, इन योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर स्कूल शिक्षा प्रणाली मे सुधार के लिए समांतर संस्थागत व्यवस्थाएँ भी की गईं। इसी समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयासों और कर्मियों के कार्यो में दोहराव होते गये। इस कारण शिक्षा प्रणाली को एक ऐसे संगठित स्वरूप की ज़रूरत हुई, जहाँ इन तीनों योजनाओं एवं अन्य संबंधित पहलुओं का एक साथ समावेश हो जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण आदि को एक साथ देखा जा सके। इसलिए इन सभी को एक ही रूप मे देखने के लिए एकीकृत योजना को बनाया गया है। इस योजना में संपूर्ण विद्यालय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1से12 तक को एक साथ रखा गया है अर्थात् विद्यालयी शिक्षा को समग्र रूप से प्री-नर्सरी कक्षा से 12 वीं कक्षा तक विभाजित किए जाने के बजाए एक स्वरूप में देखने का प्रस्ताव दिया है,जिससे कार्य क्षमता और बजट का सही उपयोग किया जा सके। इसलिए इसे विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारत एक व्यापक कार्यक्रम और व्यापक लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा। स्कूली शिक्षा सीखने और सीखने के परिणामों के लिए बराबर अवसरों के सुधार एवं विकास कार्यक्रम या योजना सभी स्तरों पर विशेष रूप से राज्य, जिला और उप-जिला स्तर प्रणाली और संसाधनों का उपयोग करने के लिए कार्यान्वयन प्रणाली और कार्य को व्यवस्थित रूप से करने में मदद करेगी, इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक रणनीतिक योजना जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा के परिणामों में सुधार करने के लिए संयुक्त योजना को ज़ोर देगा।

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी, नयी दिल्ली 110 016

समग्र शिक्षा — एक एकीकृत योजना का परिचय

समग्र शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा से संबंधित एक एकीकृत योजना है। समग्र शिक्षा से पूर्व केंद्र सरकार की तीन योजनाएँ यथा—सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा (RMSA) तथा शिक्षक शिक्षा संस्थान (TEIs) पृथक-पृथक रूप में कार्य करती थीं जिसके कारण अकसर इन योजनाओं द्वारा संचालित कार्यों की पुनरावृत्ति हो रही थी, क्योंकि सभी कार्य विद्यालयी शिक्षा से संबंधित थे। अतः इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन तीनों योजनाओं को सम्मिलित रूप से विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के अंतर्गत रखा जिसका नाम 'समग्र शिक्षा' है।

समग्र शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा में सुधार कर इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी बच्चों को स्कूल जाने एवं पढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना प्री-स्कूल से लेकर उच्च-माध्यमिक अर्थात् प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक 'विद्यालय' को निरंतरता के रूप में मानती है।

समग्र शिक्षा का दृष्टिकोण

सर्व शिक्षा अभियान (SSA),राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) की केंद्र प्रायोजित योजनाएँ मानव संसाधन मंत्रालय के तीन मुख्य विद्यालयी शिक्षा विकास के कार्यक्रम थे जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरा करने का उद्देश्य रखा। इन योजनाओं द्वारा अलाभान्वित एवं पिछड़े वर्गों को समानता का अधिकार देते हुए समान शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना था। इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया था—

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई., 2009) के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा अर्थात् कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को रखा गया।

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को रखा गया।
- शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) के अंतर्गत सेवापूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने और मॉनीटर करने संबंधी कार्यों को रखा गया, जिन्हें एस.सी.ई.आर.टी. एवं डी.आई.ई.टी. के साथ मिलकर किया जाता रहा।

इस तरह इतनी योजनाएँ और इतने प्रयासों के बावजूद भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी नहीं बनाया जा सका और न ही उसे पूर्णरूप से गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सका। इस कारण शिक्षा प्रणाली को एक ऐसे संगठित स्वरूप की ज़रूरत हुई जहाँ इन तीनों योजनाओं एवं अन्य संबंधित पहलुओं का एक साथ समावेश हो जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण आदि को एक साथ देखा जा सके। अतः तीनों योजनाओं को सम्मिलित रूप से 'समग्र शिक्षा' योजना कहा गया।

समग्र शिक्षा योजना का दृष्टिकोण शिक्षा में सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी तथा समान शिक्षा को सुनिश्चित करना है, जिससे कार्य क्षमता और बजट का सही उपयोग किया जा सके। इस तरह केंद्र

सरकार द्वारा राज्य सरकार को शिक्षा का समानीकरण एवं समावेशीकरण के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य

समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- समग्र शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है। छात्रों के सीखने के परिणामों में वृद्धि, विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और जेंडर असमानता को दूर कर सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना है।
- स्कूली शिक्षा प्रावधानों में न्यूनतम मानकों (indicators) को सुनिश्चित करना, शिक्षा में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई.) कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय एस.सी.ई.आर.टी/राज्य शिक्षा संस्थान और जिला स्तर पर डी.आई.ई.टी. के नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन में सहायता करना भी इस योजना का एक उदेश्य है।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण को और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TIEs) को सुदृढ़ता प्रदान करना है।
- यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राज्य स्तर पर विभाग द्वारा एक राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी के माध्यम से लागू की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर, यह योजना एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्री और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होगी। समग्र शिक्षा योजना कार्यक्रम की मॉनीटरिंग, समानता और गुणवत्ता से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विभाग को भारत के एडसिल (Educational Consultant of India Limited) में तकनीकी सहायता समूह (TSG) द्वारा सहायता दी जाएगी। इस तरह राज्य में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक ही योजना लाने की कोशिश की गई है।

समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्य

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान
- विद्यालयी प्रावधान में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना
- शिक्षा में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) को लागू करने में राज्यों की सहायता करना
- शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एस.सी.ई.आर.टी/ राजकीय शैक्षिक संस्थानों एवं डाइट को नोडल एजेंसी के रूप में मजबूती प्रदान करना
- विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समानता तथा समावेश को ध्यान में रखना
- विद्यार्थियों हेतु शिक्षा तथा सीखने के प्रतिफलों में विकास संबंधी प्रावधान
- विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक तथा जेंडर गैप/अंतर को पाटना

- केंद्र और राज्यों के बीच योजना के लिए फंड साझाकरण पैटर्न-8 उत्तर-पूर्वी राज्यों, जैसे— अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा तथा

3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में प्रस्तावित किया गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और विधानसभा के साथ अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंड साझाकरण पैटर्न 60:40 रखा गया है। इसके अलावा बिना विधानमंडल के संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित (अक्तूबर, 2015 में प्राप्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तर्क संगतकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफ़ारिशों के अनुसार) करने का प्रस्ताव है।

- एकीकृत योजना में दो 'T'— शिक्षक और प्रौद्योगिकी (Teacher and Technology) पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया है। इस योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना मानदंडों और उनके लिए उपलब्ध समग्र संसाधन के अंतर्गत अपने अनुसार योजना बनाने और प्राथमिकता देने के लिए लचीलापन देने का प्रस्ताव रखती है। योजना में उद्देश्य मानदंडों के आधार पर, जैसे— छात्रों के नामांकन, प्रतिबद्ध ज़िम्मेदारियाँ, सीखने के प्रतिफलों और विभिन्न प्रदर्शित संकेतकों आदि के आधार पर निधि आवंटित करने का प्रस्ताव है।
- यह योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने तथा विद्यालयी शिक्षा पूरी करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह हस्तक्षेपों (interventions) के माध्यम से शिक्षक शिक्षा के एकीकरण द्वारा विद्यालयी शिक्षा में अलग-अलग सहायक संरचनाओं, जैसे — एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, अध्यापन में नवाचार, परामर्श और मॉनीटरिंग आदि के बीच प्रभावी अभिसरण और संबंधों (convergence and linkages) की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह एकल योजना एस.सी.ई.आर.टी. (SCERT) को लक्ष्य केंद्रित और गतिशील बनाने के लिए सभी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आचरण और मॉनीटरिंग(mentoring and monitoring) के लिए नोडल एजेंसी बनने में सक्षम करेगी। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा होने वाले लाभों को पहुँचाने में भी सक्षम होगी।

समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख आयाम

इस योजना के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित स्कूल शिक्षा के सभी प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं—

(i) बुनियादी ढाँचे के विकास सहित सार्वभौमीकरण तथा प्रतिधारण (universal access including infrastructure development and retention)

(ii) जेंडर और समानता (gender and equality)

(iii) समावेशी शिक्षा (inclusive education)

(iv) गुणवत्ता (quality)

(v) शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता (financial support for teachers' salary

(vi) डिजिटल पहल(digital initiatives)

(vii) वर्दी, पाठ्यपुस्तकें इत्यादि सहित आर.टी.ई. एंटाइटेलमेंट्स (RTE entitlements including uniforms, textbooks, etc.)

(viii) प्री-नर्सरी शिक्षा(pre-nursery education)

(ix) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)

(x) खेल और शारीरिक शिक्षा (Sports and Physical Education)

(xi) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना(strengthening of teacher education and training)

(xii) मॉनीटरिंग(monitoring)

(xiii) कार्यक्रम प्रबंधन (programme management)

(xiv) राष्ट्रीय घटक(National Component)– केंद्रीय संस्थान, जैसे — एन.सी.ई.आर.टी., नीपा, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., एन.सी.पी. सी.आर., एन.आई.सी., टी.एस.जी. आदि को सम्मिलित किया गया है।

यह प्रस्तावित है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा ब्लॉक (EBB), विशेष फोकस जिलों (SFDs), सीमा क्षेत्रों (Border areas) और 115 योजना के अंतर्गत शामिल जिलों को वरीयता दी जाएगी।

समग्र शिक्षा के मुख्य केंद्र बिन्दु

शिक्षा का समग्र उपागम

स्कूली शिक्षा को प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक समग्र रूप में देखा गया।

- पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर तथा प्री- स्कूल स्तर को समावेशित किया गया है।
- नवीन उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था संयुक्त विद्यायलों के निर्माण के उद्देश्य से करने की कोशिश की गयी है।

प्रशासनिक सुधार

- एकल तथा एकीकृत प्रशासनिक संरचना
- राज्यों को प्राथमिकता के अनुसार योजना में हस्ताक्षर करने हेतु छूट प्रदान करना
- एकीकृत प्रशासन द्वारा स्कूल को निरंतरता के रूप में देखना
- गुणवत्ता सुधार हेतु सीखने के प्रतिफल को आधार मानना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना

- शिक्षक तथा प्रौद्योगिकी में ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना
- शिक्षक तथा विद्यालय प्रमुख की क्षमता में विकास करना
- शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से शिक्षक शिक्षण संस्थानों, जैसे— एस.सी.ई.आर.टी तथा डी.आई.ई.टी., को सशक्त बनाना
- एस.सी.ई.आर.टी को सेवारत एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नोडल संस्थान के रूप में रखना जिससे शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यकता आधारित तथा आकर्षित बनाया जा सके।
- पुस्तकालय को मज़बूती प्रदान करने की दृष्टि से स्कूलों को 5000 से 25,000 रु. प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देना है।

- स्कूलों में विज्ञान एवं गणित अधिगम को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को सहयोग देना है।
- प्राथमिक स्तर पर बुनियादी कौशलों के विकास हेतु 'पढ़े भारत बढ़े भारत' अभियान को सहयोग देना है।

डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना

- 5 साल के भीतर सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को सहयोग करनाहै।
- स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल बोर्ड तथा डी.टी.एच. चैनल के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।
- डिजिटल कदम, जैसे— शालाकोष, शगुन, शाला सारथी, को मज़बूती प्रदान करने की आवश्यकता है।
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक आई.सी.टी. के ढाँचे को सुदृढ़ करना है।
- शिक्षकों के कौशल विकास हेतु 'दीक्षा' नामक डिजिटल पोर्टल का अधिकाधिक प्रयोग करना है।

स्कूलों को सुदृढ़ बनाना

- सरकारी विद्यालयों की आधारिक संरचना की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- समग्र स्कूल अनुदान जिसकी राशि 14,500– 50,000 रु.से बढ़ाकर 25,000 से 1 लाख कर दी गई है वह स्कूलों को बच्चों के नामांकन के आधार पर दी जाएगी।
- स्वच्छता संबंधी गतिविधियों हेतु विशिष्ट प्रावधान 'स्वच्छ विद्यालय'का सहयोग करना है।

बालिका शिक्षा पर बल

- बालिकाओं का सशक्तीकरण करना है।
- कक्षा 6–8 से कक्षा 6–12 तक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का उन्नयन करना है।
- उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं को स्वरक्षा का प्रशिक्षण देना है।
- विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को कक्षा 1 से 12 तक प्रतिमाह 200 रु. सहायता राशि के रूप में देना। इससे पहले यह केवल कक्षा 9 से 12 तक सीमित थी।
- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'से संबंधित प्रतिबद्धता को बढ़ाना है।

आर.टी.ई. 2009 का सहयोग

- वर्दी के बँटवारे हेतु राशि 400 से बढ़ाकर 600 रु. प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष कर दी गई है।
- पाठ्यपुस्तकों के आवंटन हेतु राशि 150–250 रु. से बढ़ाकर 250–400 रु. प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष कर दी गई है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हेतु वज़ीफ़े की राशि 3000 से बढ़ाकर 3500 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दी गई है।
- प्राथमिक स्तर पर आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण देना है।
- स्कूल में सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए 6000 रु. प्रति बच्चा प्रति वर्ष खर्च करना है।

कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना

- उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल के विकास को बढ़ावा देना है।
- कक्षा 9–12 के लिए व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के साथ सम्मिलित करना तथा साथ ही ज़्यादा व्यावहारिक बनाना है।
- कौशल विकास पर बल देना है।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल पर ध्यान केंद्रित करना

- खेल शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना है।
- प्रत्येक स्कूल को प्राथमिक स्तर पर 5000 रु., उच्च प्राथमिक स्तर पर 10,000 रु. तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 25000 रु. खेल-कूद की सामग्री खरीदने हेतु दिया जाएगा।
- 'खेलो-इंडिया' को सहयोग करना।

क्षेत्रीय संतुलन में ध्यान केंद्रित करना

- संतुलित शैक्षिक विकास का प्रचार करना।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (EBBs) से संक्रमित जिलों, विशिष्ट केंद्रित जिलों (SFEs), बॉर्डर क्षेत्र तथा नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 महत्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना।
- 'सबका साथ सबका विकास' का प्रचार करना।

समग्र शिक्षा, सरकार का वादा है एक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का, जिसमें विभिन्न कौशलों तथा ज्ञान से संबंधित बच्चे सम्मिलित हों जिससे उनका समग्र विकास हो सके। बच्चों को भविष्य में इस क्रियाशील राष्ट्र निर्माण अथवा उच्च शिक्षा लेने के अनुरूप तैयार किया जा सके।

एकीकृत योजना के अंतर्गत आर.टी.ई.,2009

एकीकृत या समग्र योजना, विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग करेगी। इस योजना में एक न्यायसंगत और समावेशी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो अग्रलिखित मार्गदर्शक द्वारा निर्देशित की जाएगी—

(i) शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण (Holistic view of education)— इसकी व्याख्या *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में संपूर्ण सामग्री के व्यवस्थित सुधार तथा पाठ्यक्रम, शिक्षक-शिक्षा, शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन के लिए शिक्षा प्रक्रिया के आवश्यक कार्यान्वयन के रूप में की गई है।

(ii) साम्यता(Equity)—इसका तात्पर्य समान अवसरों को प्रदान करना ही नहीं है, अपितु ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने से भी है जिसमें समाज के वंचित वर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चे, भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा विशेष क्षमता वाले बच्चे, आदि अवसर का लाभ उठा सकें।

(iii) पहुँच(Access)—यह सुनिश्चित करना ही काफ़ी नहीं है कि विद्यालय निर्दिष्ट दूरी के अंदर सभी बच्चों की पहुँच के भीतर हों बल्कि यह भी आवश्यक है कि यह परंपरागत रूप से बहिष्कृत श्रेणियों, जैसे — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सर्वाधिक वंचित समूहों के अन्य वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक, बालिकाओं एवं विशेष क्षमता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझकर शिक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सुलभ हों।

(iv) जेंडर संवेदनशीलता (Gender concern)— लड़कियों को लड़कों के साथ एक कक्षा में बैठाने हेतु सक्षम बनाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है अपितु राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92 के

परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखना भी है। अत: यह महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए निर्णायक हस्तक्षेप है।

(v) नैतिक मज़बूती (Moral compulsion)— माता-पिता, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों तथा अन्य हितधारकों हेतु दण्ड प्रक्रियाओं पर बल डालने के बजाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के माध्यम से नैतिक मज़बूती प्रदान करना।

(vi) शिक्षकों का केंद्रीकरण (centrality of teacher) — शिक्षकों को कक्षा-कक्ष के अंदर एवं बाहर शिक्षण हेतु वातावरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके साथ ही वे सभी बच्चों विशेषतया बालिकाओं के लिए समावेशित शिक्षा हेतु वातावरण तैयार करें।

(vii) शैक्षिक प्रबंधन का अभिसरण और एकीकृत प्रणाली (Convergent and integrated system of educational management) — आर.टी.ई. कानून के कार्यान्वयन के लिए पूर्व आवश्यकता है। सभी राज्यों को उस दिशा में तेज़ी से व्यवहार्य रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

इस तरह समग्र शिक्षा अर्थात् एकीकृत योजना शिक्षा प्रणाली को एक ऐसा संगठित स्वरूप प्रदान करती है जिसमें इन तीनों योजनाओं एवं अन्य संबंधित पहलुओं का एक साथ समावेश होता है। जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ शिक्षक प्रशिक्षण आदि को एक साथ देखा जा सकता है। इस तरह केंद्र सरकार ने शिक्षा का समानीकरण एवं समावेशीकरण के साथ-साथ राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की है।

संदर्भ

कॉनसेप्ट पेपर ऑन "इन्टीगरेटेड स्कीम फ़ॉर स्कूल एजुकेशन — मर्जिंग द सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स ऑफ़ एस. एस. ए., आर.एम. एस.ए.,एंड टी.ई." Samagra.mhrd.gov.in/docs/Letter%20to%20states%20(Final).pdf

केंद्र सरकार का 'समग्र शिक्षा अभियान' पोर्टल https://www.enterhindi.com/samagra-shiksha-abhiyan-portal-mhrd/ पर देखा गया।